

—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न०२२३ / १८

तारीख दायरा:- ३०/८/१८

बउनवान

छीतरलाल पुत्र कंवरलाल उम्र ७०वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद  
जिला कोटा राजस्थान। — वादी—

बनाम

१. बद्रीलाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
२. जोधराज पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
३. धन्नालाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
४. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
५. कैलाशबाई पुत्री रामलाल पत्नी रामदयाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम डूंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड
६. कान्तीबाई पुत्री रामलाल पत्नी नन्दलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
७. कमला उर्फ पुष्पा पुत्री कंवरलाल पत्नी गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान
८. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा राजस्थान।  
— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा ५३,८८,८९,१८८ आर टी एक्ट

उपस्थिति:-


वादी की ओर से :- श्री रमेश कुमार शर्मा एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- श्री हरीश कुमार शर्मा, एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से:- श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट



2

उपखण्ड मीजिस्ट्रेट  
सांगोद, जिला- कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जय अथिक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया, कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, जिनके सम्मिलित खाते की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स० नई 74 के खसरा न० 378 की 0.09 हेक्टर, खसरा न० 972 की 2.09 हेक्टर, खसरा न० 973 की 0.40 हेक्टर, खसरा न० 981 की 0.26 हेक्टर, खसरा न० 1002 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 1003 की 5.21 हेक्टर, खसरा न० 1018 की 1.63 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 9.69 हेक्टर आराजी स्थित हैं। वादी व प्रतिवादीगण का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है:-



यहकि वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी ग्राम गुरायता की मृतक खातेदार कंवरलाल की पुश्तेनी आराजी होने से जमावन्दी सम्वत 2050 से 2053 में कंवरलाल के वारिसान के नाम नामान्तरण स० 319 द्वारा कंवरलाल के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण 1ता6 के पिता रामलाल व प्रतिवादी न० 7 कमला उर्फ पुष्पा का नाम उत्तराधिकारी अनुसार फौती इन्तकाल खुलकर राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिए था, लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती से कंवरलाल के कैलाशबाई पुत्री एवं कमला पुत्री का नाम राजस्व रेकार्ड में फौती इन्तकाल द्वारा गलत अंकन कर दिया, ज वकि मृतक कंवरलाल के एक मात्र पुत्री पुष्पाबाई ही वारिस है, जिसका नाम भी सहवन से दर्ज कर दिया गया है। कैलाशबाई नाम की कंवरलाल की कोई पुत्री नहीं है, राजस्व रेकार्ड वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित जमावन्दी में सुन्दरबाई वेवा रामलाल का नाम भी दर्ज है, लेकिन सुन्दरबाई की मृत्यु हो जाने से तथा उसके विधिक वारिस प्रतिवादी न० 1ता 6 राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से सुन्दरबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है, उसका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

यहकि वादी द्वारा अपने हिस्से व कब्जे एवं विभाजन के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे आराजी दर्ज नही होने की जानकारी बैंक से कृषि विकास के लिए ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से नकल लेने पर पटवारी हल्का द्वारा वादी के हिस्से व कब्जे अनुसार आराजी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने की जानकारी देने पर वादी को राजस्व रेकार्ड खाते मे गलत अंकन होन की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके सन्दर्भ मे वादी द्वारा तहसीलदार सांगोद के समक्ष नकल प्रस्तुत कर नकल मे हिस्सा का सही अंकन करने तथा इन्तकाल मे कैलाशबाई का गलत नाम दर्ज होने तथा पुष्पा के स्थान पर भी कमला पुत्री कंवरलाल का नाम गलत दर्ज होने से उक्त वाद वादी द्वारा सम्मानीय न्यायालय मे राजस्व रेकार्ड मे अंकन की शुद्धि कराने तथा हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। तथा वाद कारण वादी द्वारा पटवारी हल्का तथा तहसीलदार महोदय से वादी का हिस्सा आराजी राजस्व रेकार्ड मे वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा दुरस्त करने तथा कैलाश पुत्री कंवरलाल का नाम हटाने तथा कमला के स्थान पर पुष्पाबाई का नाम दर्ज करने की कहने पर उसके द्वारा भी एक माह पूर्व मना कर देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। तथा प्रतिवादी कम 1ता6 द्वारा प्रतिवादीन08 से आराजी पर ऋण लेने के कारण उक्त आराजी पर रहन दर्ज होने से प्रतिवादी न08 को पक्षकार बनाया गया है, एवं प्रतिवादी न09 तहसीलदार सांगोद भूमिधारी होने से उक्त वाद मे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के सिद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता स0 74 के राजस्व रेकार्ड मे वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 1ता6 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी न07 कमला उर्फ पुष्पाबाई का हिस्सा 1/3 दर्ज करने की घोषणा की जावे, साथ ही कैलाशबाई का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे, व कमला के स्थान पर पुष्पाबाई का नाम संशोधित करने की घोषण की जावे व मृतक सुन्दरबाई पत्नी रामलाल का नाम भी राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने की घोषण की जावे।

इस आशय का वाद पेश होने पर वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है, प्रतिवादीगण कम 1ता7 द्वारा वादी के वाद का कजवाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, प्रतिवादीन09 राज्य सरकार द्वारा भी जवाव दावा पेश किया है, तथा राज्य सरकार को दावा स्वीकार करने मे किसी प्रकार की आपत्ति व राजस्व की हानि नही होना प्रस्तुत किया है, प्रतिवादीन08 प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धूलेट तहसील कनवास का रहन भार जमाबन्दी प्रदर्श

पी1 रहन भार हट जाने से वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) प्रतिवादी न08 का नाम डिलीट किये जाने का पेश किया है, जिसका नाम डिलीट किया गया है। एवं वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1ता7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर इकवाली जवाब प्रस्तुत किया। एवं वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार घोषणा व विभाजन की डिकी चाही गई है। जिसमे वादी व प्रतिवादी कम 1ता 7 के खाते व कब्जे की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर, खसरा न0972 की 2.09हेक्टर, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर, खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर, खसरा न0 1018 की 1.63 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 9.69हेक्टर आराजी, जिसमे प्रतिवादी कम 7 कमला उर्फ पुष्पा पुत्री कंवरलाल ने अपने हिस्से 1/3 मे से 1/6 हिस्सा वादी को व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ता 4 को हक त्याग कर दे दिया है, एवं प्रतिवादी कम 5व6 के हिस्से को प्रतिवादी कम 5व6 ने अपने हिस्से को प्रतिवादीकम 1ता4 के हक मे हक त्याग कर दिया है, एवं कैलाशबाई पुत्री कंवरलाल का नाम गलत दर्ज है, कैलाशबाई कंवरलाल के कोई पुत्री नही है, जिसका नाम हटाया जावे।

वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4 ने राजीनामा अनुसार सम्पूर्ण आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर, खसरा न0972 की 2.09हेक्टर, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर, खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर, खसरा न0 1018 की 1.63 हेक्टर कुल किता 7 की कुल 9.69हेक्टर आराजी, का वादी के हक मे 1/2 की घोषणा व विभाजन एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के हक मे संयुक्त रूपसे 1/2 की घोषणा व विभाजन किये जाने का राजीनामा प्रस्तुत किया है। वादी के हिस्से एवं विभाजन मे प्राप्त आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.61हेक्टर पूर्वी तरफ का, खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पश्चिमी तरफ का 0.05हेक्टर व खसरा न0972 की 2.09हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.78हेक्टर आराजी व प्रतिवादी कम 1ता4 के संयुक्त हिस्से मे आयी आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.60हेक्टर पश्चिमी तरफ का, खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पूर्वी तरफ का 0.04हेक्टर व खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 973 की 0.40हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1018 की 1.63हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.95हेक्टर आराजी।

उपरोक्त राजीनामा सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1ता 4 के पक्ष मे विभाजन अनुसार हिस्से की घोषणा की जाकर खाता प्रथक किये जाने तथा घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर अमल दरामद किया जावे, तथा राजीनामा अनुसार निर्णय कर सादर डिकी प्रदान की जावे।

यहकि उक्त प्रकरण मे मैने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी सुनी गई, बहस मे वादी ने वाद पत्र मे वर्णित कथनो व जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के कथनो को दौहराते हुए राजीनामा अनुसार दावा डिकी किये जाने की प्रार्थना की।

उक्त प्रकरण मे पत्रावली के अवलोकन मे पत्रावली मे जो दस्तावेज जवाब सरकार जवाब दावा काउन्टर क्लेम, इकबाली जवाब काउन्टर क्लेम, वादी उपलब्ध है। इनसे यह प्रतीत होता है, कि वादी का वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।


वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आदेश दिया जाता है, कि वादी के हक मे 1/2हिस्से की घोषणा एवं विभाजन व प्रतिवादी क्रम 1ता 4के हक मे संयुक्त रूपसे 1/2हिस्से के खातेदार की घोषणा की जाती है, तथा राजीनामे मे वर्णित वादी के हक मे हिस्से की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.61हेक्टर पूर्वी तरफ का, खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पश्चिमी तरफ का 0.05हेक्टर व खसरा न0 972 की 2.09हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.78हेक्टर आराजी वादी के प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है, एव प्रतिवादी क्रम 1ता4 के संयुक्त हिस्से मे आयी आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21हेक्टर मे से 2.60हेक्टर पश्चिमी तरफ का, खसरा न0 378 की 0.09हेक्टर मे से पूर्वी तरफ का 0.04हेक्टर व खसरा न0 981 की 0.26हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 973 की 0.40 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1018 की 1.63हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1002 की 0.01हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.95हेक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के हक मे प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है। प्रतिवादी न07 व प्रतिवादी न0 5व6 ने अपने हिस्से का हक त्याग वादी व प्रतिवादी क्रम 1ता 4के पक्ष मे करने के लिए राजीनामा प्रस्तुत किया है, अतः इनके हिस्से तक हक त्याग पंजीयन मे लगने वाले शुल्क वादी व प्रतिवादी क्रम 1ता4 से

6.....


उपसण्ड मैजिस्ट्रेट  
सांगोद, जिला- कोटा

6...

जमा करवाकर उक्त घोषणा विभाजन के कम मे इन्द्राज दुरस्त कर खाते मे अमल दरामद किया जावे, वाद व्यय वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4स्वयं वहन करेंगे। नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्यर से कम की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजेश कुमार)  
सांगोद अरिलिए-एस  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 6/12/2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजेश कुमार)  
सांगोद अरिलिए-एस  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इत्तदाई  
आर. रूल्स 6-7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा( आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
मिसल न0 / तारीख दायरा:-

बउनवान

छीतरलाल पुत्र कंवरलाल उम्र 70वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद  
जिला कोटा राजस्थान। - वादी-

बनाम


1. बद्रीलाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
2. जोधराज पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
3. धन्नालाल पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
5. कैलाशबाई पुत्री रामलाल पत्नी रामदयाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम झुंडी तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. कान्तीबाई पुत्री रामलाल पत्नी नन्दलाल जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
7. कमला उर्फ पुष्पा पुत्री कंवरलाल पत्नी गजानन्द जाति किराड निवासी ग्राम गुरायता हाल मुकाम ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

- प्रतिवादी-

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,209 आर टी एक्ट

दिनांक:-

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री रमेश कुमार शर्मा वादी, एवं श्री हरीश कुमार शर्मा व श्री सुशील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिव मुददई रुवरु श्री .....मिन मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:- 2.....


  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सांगोद, जिला- कोटा

2.....

अ. वादी के हक में 1/2 हिस्से की घोषणा एवं विभाजन व प्रतिवादी कम 1ता 4के हक में संयुक्त रूपसे 1/2 हिस्से के खातेदार की घोषणा की जाती है, तथा राजीनामे में वर्णित वादी के हक में हिस्से की आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21 हेक्टर में से 2.61 हेक्टर पूर्वी तरफ का, खसरा न0 378 की 0.09 हेक्टर में से पश्चिमी तरफ का 0.05 हेक्टर व खसरा न0 972 की 2.09 हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.78 हेक्टर आराजी वादी के प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है।

ब. प्रतिवादी कम 1ता 4 के संयुक्त हिस्से में आयी आराजी माल ग्राम गुरायता पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 1003 की 5.21 हेक्टर में से 2.60 हेक्टर पश्चिमी तरफ का, खसरा न0 378 की 0.09 हेक्टर में से पूर्वी तरफ का 0.04 हेक्टर व खसरा न0 981 की 0.26 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 973 की 0.40 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1018 की 1.63 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 1002 की 0.01 हेक्टर सम्पूर्ण कुल रकबा 4.95 हेक्टर आराजी प्रतिवादी कम 1 ता 4 के हक में प्रथक विभाजन किये जाने की घोषणा की जाती है।

स. प्रतिवादी न0 7 व प्रतिवादी न0 5 व 6 ने अपने हिस्से का हक त्याग वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4के पक्ष में करने के लिए राजीनामा प्रस्तुत किया है, अतः इनके हिस्से तक हक त्याग पंजीयन में लगने वाले शुल्क वादी व प्रतिवादी कम 1ता 4 से जमा करवाकर उक्त घोषणा विभाजन के क्रम में इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद किया जावे।

  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
(राजेश डागा)  
सांगोद, जिला- कोटा  
आर. ए. एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद